

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// निविदा सूचना //

क्रमांक 157/जल/वार्षिक नि0-2017-18

राजनांदगांव दिनांक 12/1/17

नगर पालिक निगम राजनांदगांव जल विभाग में उपयोग में आने वाली सामग्री वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्रय हेतु निर्माता कम्पनियों, स्टाकिस्ट, डीलर, सप्लायर एवं शासन के अन्य विभाग एवं शासकीय उपक्रम में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत टेकेंदारों से नान एस.ओ.आर. आयटम दर के आधार पर फार्म "बी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

13/2/2017 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि


14/2/2017 को

संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र श्रेणी
1	क्लोरो गैस टर्नर क्रय 900 किलो भर्ती	8.00	7000.00	750.00	बी. फार्म
2	ब्लीचिंग पाउडर आई.एस.आई 33 36 प्रतिशत	12.00	11000.00	750.00	बी. फार्म

शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
- निविदा में भाग लेने से इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा करने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
- दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे।
- नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
- आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं तो निविदा कार्यवाही अग्रीम कार्य दिवस में सपन्न किये जायेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेगें।
- छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्चोरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
- सफल निविदाकार को तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- अनुमानित राशि में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का होगा।
- सामग्री एन.आई.टी. अनुसार एवं आई.एस.आई. का प्रदाय करना होगा।
- राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।


12/01/17
आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

58 जल/वार्षिक नि0-2017-18

राजनांदगांव दिनांक 12 / 1 17

ननीय महापौर/अध्यक्ष नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
प्रभारी सदस्य, जल विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
कार्यालय ----- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।


आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव